

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा

03.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1850 का उत्तर

नई खान-पान नीति

1850. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों में यात्रियों को बेहतर खान-पान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक नई खान-पान नीति तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस संबंध में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) आईआरसीटीसी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली खाद्य-सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): जी हां। यात्रियों को सुरक्षित, स्वास्थ्यपरक और गुणवत्तापरक भोजन मुहैया कराने के लिए 27 जनवरी, 2017 को नई खानपान नीति जारी की गई है जिसके द्वारा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) को गाड़ियों पर भोजन तैयार करने और भोजन वितरण करने के बीच अन्तर सृजित कर उनके विकेंद्रीकरण का आदेश दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए गाड़ियों में भोजन आईआरसीटीसी द्वारा स्वामित्व, परिचालित और प्रबंधित किचनों से प्राप्त किया जा रहा है।

नई खानपान नीति में विभिन्न खानपान सुविधाओं की परिकल्पना की गई, जो निम्नानुसार हैं:-

- I. भोजन तैयार करने की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए, आईआरसीटीसी ने विगत दो वर्षों में 46 बेस किचनों को अपग्रेड किया है। निगरानी के उद्देश्य से 38 बेस किचनों में सीसीटीवी कैमरों को संस्थापित किया है और इन किचनों में वेब-आधारित लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा विस्तारित की जा रही है। जनता द्वारा इन लाइव स्ट्रीमों को raildriшти.in पर देखा जा सकता है।
- II. यात्रियों को भोजन की उन्नत गुणवत्ता परोसे जाने के लिए आईआरसीटीसी को मैनुअल में आवश्यकतानुसार संशोधन की अनुमति दी गई है।
- III. पेंटी कारों के बिना चल रही गाड़ियों में ट्रेन साइड वेडिंग का प्रावधान किया जा रहा है।
- IV. स्वचालित वेडिंग मशीनों, रेडी-टू-ईट (आरटीई) भोजन आदि जैसी सेवाओं को बेहतर बनाने का कार्य शुरू किया गया है।
- V. सभी खान-पान से संबंधित लेन-देनों के लिए यात्रियों को तत्काल बिल प्राप्त करने जैसी सुविधाओं हेतु भारतीय रेल की खान-पान इकाइयों पर पीओएस मशीनें मुहैया कराई जा रही हैं और इससे नकदीरहित माध्यम के जरिए भुगतान करने के लिए सक्षम किया जा रहा है।

(घ): खाद्य मर्दों की गुणवत्ता जांच के लिए भारतीय रेल द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:-

- I. खाद्य सुरक्षा और साफ़-सफाई कार्यों की जांच करने के लिए किचन इकाइयों में फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स को तैनात किया गया है।
- II. जानी मानी थर्ड पार्टी एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र थर्ड पार्टी ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण नियमित रूप से किए जा रहे हैं।
- III. नेशनल एक््रेडीटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलीब्रेशन लैबोरेटरी (एनएबीएल) मान्यता प्राप्त लैबों को किचनों में तैयार किए जा रहे भोजन की लैब जांच के लिए लगाया गया है।
- IV. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों सहित रेलवे अधिकारियों द्वारा नियमित और औचक निरीक्षण किए जाते हैं।
- V. सभी फूड पैकेटों की बारकोडिंग प्रणाली और अन्य ब्यौरे जैसे किचेन का नाम, पैकेजिंग की तारीख आदि को उल्लेख करने की रवायत शुरू की गई है और इसे सभी जगह कार्यान्वित किया जाएगा।

\*\*\*\*\*